भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

30.07.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1779 का उत्तर

रेलवे रिक्तियों में अजा/अजजा का प्रतिनिधित्व

1779. एडवोकेट प्रिया सरोज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे के सभी जोनों में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणियों में अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय रेलवे की सभी श्रेणियों (समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ') में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान लंबित रिक्तियों (बैकलॉग सहित) की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों की रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रेलवे बोर्ड और विभिन्न रेलवे जोनों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों (जैसे महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक और समकक्ष पद) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा क्या है; और

(च) अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किए गए उन रेलवे स्टेशनों की संख्या का ब्यौरा क्या है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थित हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण प्रदान करने के मौजूदा प्रावधान का रेलवे में अनुपालन किया जाता है। दिनांक

01.01.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में सभी कोटियों (अर्थात् समूह 'क', 'ख और 'ग', जिसमें लेवल-1 भी शामिल है) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

कोटि	प्रावधान	मौजूद
अनुसूचित जाति	15%	16.84%
अनुसूचित जनजाति	7.5%	8.02%

भारतीय रेल में पिछले पांच वर्षों के दौरान सूचीबद्ध/नियुक्त कुल उम्मीदवार और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार निम्नानुसार हैं:

कुल पैनलबद्ध/नियुक्त	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2,92,811	44,241 (15.11%)	22,806 (7.79%)

भारतीय रेल के आकार, स्थानिक वितरण और परिचालन के महत्व को देखते हुए, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित अन्य कोटियों में पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना सतत् प्रक्रिया है। नियमित संचालन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मशीनीकरण और नवीन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराई जाती है। रिक्तियों को मुख्य रूप से रेलवे द्वारा परिचालन और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों को मांगपत्र भेज कर भरा जाता है।

वर्तमान में, भारतीय रेल में समूह 'ग' (लेवल-1 सहित) में 1.08 लाख रिक्तियों (अनुसूचित जाति-16,008, अनुसूचित जनजाति-8,705) की भर्ती शुरू की गई है।

अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ आरक्षित रिक्तियों को निर्धारित कोटियों के उम्मीदवारों द्वारा भरने का हर संभव प्रयास किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की रिक्तियों के तहत कमी/बैकलॉग, यदि कोई हो, का ध्यान रखा जाता है और उन्हें बाद के भर्ती चक्र के माध्यम से भरने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। रेलवे में भर्ती प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्डों आदि के माध्यम से नियमित रूप से संचालित की जा रही है। चूँकि रेलवे में भर्ती प्रक्रिया नियमित और शीघ्र की जाती है, इसलिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं होती है।

आरक्षण केवल समूह 'क' के सबसे निचले सोपान तक लागू है। वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति/तैनाती को अधिकारी की कोटि को ध्यान में रखे बिना मौजूदा नियमों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफार्म की सतह में सुधार और प्लेटफार्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टीमोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक 1,337 स्टेशनों की पहचान विकास के लिए की गई है। अब तक इस योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, 105 स्टेशनों पर चरण-I का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तीव्र गति से शुरू किया गया है और कार्य प्रगति पर है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास/उन्नयन के लिए चिन्हित स्टेशनों का स्थानिक वितरण राज्यों में यथोचित रूप से एक समान है तथा यह योजना रेल सम्पर्क वाले सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कवर करती है।

भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन निरन्तर और सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में आवश्यकता के अनुसार कार्य किए जाते हैं, जो पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन है। कार्यों की स्वीकृति देने और निष्पादन के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशनों के उन्नयन/विकास को प्राथमिकता दी जाती है।
